(IJDSSH) 2016, Vol. No. 2, Jul-Dec **e-ISSN: 2455-5142; p-ISSN: 2455-7730**

CASTING LEGISLATION IN 19TH CENTURY BRITISH INDIA

Dr. Manoj Singh Yadav

Asst Prof, Dept of History, Kashi Naresh Govt PG College, Gyanpur, Bhadohi

19 वीं सदी के ब्रिटिष भारत में काष्तकारी विधायन

डॉ0 मनोज सिंह यादव

असिस्टेंट प्रोफेसर–इतिहास विभाग, काषी नरेष राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भदोही

भारतीय कृशि क्षेत्रों का षोशण करने के लिए ब्रिटिष सरकार द्वारा विभिन्न प्रांतो में अनेक कानून लागू किये गये थे। इन कानूनों के माध्यम से भारतीय काष्तकारों, किसानों आदि को या तो जमींदार के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया था या फिर स्वयं सरकार द्वारा सीधे रूप से इनका षोशण किया जा रहा था। देष के विभिन्न भागों पर लागू रैय्यतबाड़ी, महलवाड़ी तथा स्थाई–बन्दोबस्त आदि के माध्यम से सरकार भारतीय किसानों का षोशण कर रही थी। सरकार के द्वारा लागू किये गये सभी नियम उसके सुरक्षा एवं समृद्धि के दृश्टिकोण से बनाये गये थे। इसी प्रकार के कानूनों की एक कड़ी के रूप में काष्तकारी विधान को लिया जा सकता है।

काष्तकारी विधान को सर्वप्रथम बंगाल महाप्रदेष में लागू किया गया था। 1860 ई0 में उत्तरी पष्चिमी प्रांत में 1859 का बंगाल लगान अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम को 1873 ई0 में संषोधित किया गया। इस काष्तकारी विधान को उन्ही प्रदेषों में लागू किया गया जहाँ पहले जमींदारी व्यवस्था या तालुकेदारी व्यवस्था विद्यमान थी। इसी आधार पर इस काष्तकारी विधान को मद्रास एवं बम्बई महाप्रदेषों में लागू किया गया।

काष्तकारी अधिनियम देष के विभिन्न भागों में संषोधित रूपों में लागू हुआ। इस विधान का प्रथम चरण 1859 ई0 में प्रारम्भ हुआ किन्तु कुछ समय के पष्चात इसमें त्रुटियों के दृश्टिगत होने के कारण 1885 में संषोधित करके नये रूप में लागू किया गया। इस प्रकार से यह काष्तकारी विधान 1921 तक प्रभाव में रहा था।

(IJDSSH) 2016, Vol. No. 2, Jul-Dec **e-ISSN: 2455-5142; p-ISSN: 2455-7730**

1859 का काष्तकारी विधानः—*1859 के काष्तकारी विधान के अन्तर्गत कृशकों की तीन कोटियाँ निर्धारित की गयी थी—*

1—विषेशाधिकार युक्त काष्तकार

2—दखील—कारी काष्तकार

3—गैर दखील कारी काष्तकार

विषेशाधिकार युक्त काष्तकार की कोटि में वे कृशक आते थे जिनसे सरकार ने स्थाई—बन्दोबस्त किया था। इस कोटि में वे कृशक षामिल थे जिन्होने बिना परिवर्तन किये एक ही भूखंड पर अनवरत ढंग से न्यूनतम 30 वर्श तक खेती करते हुए अपरिवर्तित लगान दिया हो। इस कोटि के कृशक अपनी जमीन को बेंच सकते थे, गिरवी रख सकते थे। इसके अतिरिक्त उन्हे अपने पुत्रों को अपनी जमीन देने या किसी और को हस्तांतरित करने का अधिकार था। इस कोटि के कृशकों का लगान बकाया होने पर न्यायालय उसके हिस्से से लगान के बराबर जमीन को नीलाम करके बकाया वसूल कर सकती थी। इस कोटि के कृशकों का पहले से निर्धारित लगान को बढ़ाया नहीं जा सकता था। यह एक बंद कोटि थी।

दखीलकारी कृशकों की कोटि में वे कृशक षामिल थे जो न्यूनतम 12 वर्शों से किसी जमींदार के अधीन एक ही भूखण्ड पर खेती कर रहा हो। इस कोटि के कृशकों को हस्तांतरण का अधिकार नहीं था। इस कोटि के कृशकों का लगान कुछ षर्तों के साथ बढ़ाया जा सकता था।

1—यदि कृशक द्वारा दिया जा रहा लगान उसके द्वारा खेती किये जा रहे जोत के औसत लगान से कम है तो लगान बढ़ाया जा सकता है।

2—तीन वर्शों के बाद लगान में वृद्धि होने पर लगान बढ़ाया जा सकता है।

3—यदि कृशक निर्धारित जोत से अधिक जोत पर कृशि कर रहा है तो भी उसका लगान बढ़ाया जा सकता है।

इस कोटि के कृशकों को बेदखल करने का नोटिस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता था कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी थीं जिन पर काष्तकारी अधिकार नहीं दिया जा सकता था।

1—यदि खेती की जाने वाली भूमि जमींदार की निजी भूमि हो तो उस भूमि पर काष्तकारी अधिकार नहीं दिया जा सकता था।

2—विषेशाधिकार वाली भूमि पर भी यह अधिकार नहीं प्रदान किया जा सकता था।

3—बटाईदारी वाली भूमि तथा आंषिक या पूर्ण वेतन के बदले प्रदान की गई भूमि पर दखील कारी काष्तकारी अधिकार नहीं बन सकता था।

गैर दखीलकारी कोटि के कृशकों को कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। इस कोटि के कृशकों की षर्त भू—स्वामी स्वयं तय करता था। इस कोटि का कृशक 12

(IJDSSH) 2016, Vol. No. 2, Jul-Dec **e-ISSN: 2455-5142; p-ISSN: 2455-7730**

वर्शों तक निरन्तर एक ही भूखंड पर अनवरत कृशि करके दखीलकारी काष्तकारी कोटि पाने का अधिकारी था।

1868 ई0 में अवध प्रांत में एक नवीन प्रकार का काष्तकारी विधान लाया गया। इसमें कृशकों को कम तथा जमींदारों को अधिक अधिकार प्रदान किया गया। इस विधान में पूर्व स्वामी काष्तकार की नई कोटि बनाई गई।

कोटि के अन्तर्गत 13 फरवरी 1856 के पूर्व जब्त की गई भूमि के काष्तकार षामिल थे। इस विधान में उन जमींदारों को निजी जोत पर काष्तकारी अधिकार प्रदान किया गया था। इन्हे सीमित हस्तांतरण का अधिकार था। इस कोटि के कृशकों का लगान दखीलकारी कोटि के कृशकों से कम रहता था।

1859 के काष्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करने पर हम पाते हैं कि इसमें सर्वाधिक अन्याय दखीलकारी कोटि के कृशकों के साथ हुआ। इसमें दखिलकारी काष्तकारों को विषेशाधिकार युक्त काष्तकार बनने से वंचित करने के लिए उन कृशकों को उस भू–खण्ड से या तो दूसरे भू–खण्ड में स्थानान्तरित कर दिया जाता था या फिर 30 वर्श की अवधि को पूरा ही नहीं होने दिया जाता था। इसके अतिरिक्त उस भूखण्ड को जमींदार निजी घोशित कर देता था। बंगाल में सर्वेक्षण की सुविधा न होने के कारण ऐसा करने में आसानी होती थी। 1879 में गठित स्ट्रेची आयोग ने भी इस विधान को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अकाल का कारण अत्यधिक लगान को बताया। इसलिए 1885 में इस विधान की समीक्षा करके 1885 में दूसरे चरण का आरंभ किया गया जिसे बंगाल काष्तकारी विधान 1885 नाम दिया गया।

1885 के विधान का प्रावधान–*पुराने विधान की समीक्षा करके 1885 में एक नवीन विधान लाया गया जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान किये गये।*

1–इस विधान के द्वारा दखीलकारी काष्तकारों के अधिकारों में सुधार का प्रावधान था।

2–12 वर्श तक किसी भी भूखंड पर खेती करने पर कृशक को दखीलकारी अधिकार पाने की सुविधा हो गई।

3–इसमें धारण के अधिकार में सुधार के साथ दखीलकारी काष्तकार के द्वारा नये भू–खण्ड मिलने पर तत्काल दखीलकारी अधिकार की सुविधा हो गई।

4–कृशकों को बेदखल करने, लगान बढ़ाने आदि के लिए अब जमींदार को मुकदमा दायर करने को कहा गया।

5–मुकदमों का फैसला जिले के कलक्टर की जाँच के आधार पर करने को कहा गया।

1885 का काष्तकारी विधान लागू करते समय सरकारों को तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देष दिया गया किन्तु यह 1936 में षुरू हो गया। इसमें दखीलकारी काष्तकार को

(IJDSSH) 2016, Vol. No. 2, Jul-Dec **e-ISSN: 2455-5142; p-ISSN: 2455-7730**

नौ साल के अस्थाई हस्तांतरण का अधिकार दिया गया। इस विधान में सुधार के बावजूद अब भी कई कमियाँ रह गई थीं। जमींदारों द्वारा अब भी दखीलकारी अधिकार पाने में अडंगा डाला जा सकता था। न्यायालय की प्रक्रिया में कृशकों के समक्ष अनेकों समस्याएं आती थी। इस विधान में सुधार के बावजूद अब भी कई कमियाँ रह गई थीं। जमींदारों द्वारा अब भी दखीलकारी अधिकार पाने में अड़ंगा डाला जा सकता था। न्यायालय की प्रक्रिया में कृशकों के समक्ष अनेकों समस्याएं आती थी। यह विधान कृशकों को कानून तो दे रहे थे किन्तु उन्हे वहन करने के लिए सक्षम नहीं बना रहे थे। इसलिए कृशकों की दषा में कोई सुधार नहीं हुआ। इस प्रकार इस विधान को केवल प्रगतिषील ही माना जा सकता था।

संदर्भ ग्रन्थः—

1—भारत का वृहत इतिहास खण्ड III *आर0सी0 मजूमदार*
2—दि कोआपरेटिव आर्गनाइजेषन इन इण्डिया, बी0जी0 भटनागर
3—भारत में आर्थिक राश्ट्रवाद का उद्भव और विकास, विपिन चन्द्र
4—आज का भारत, रजनीपाम दत्त
5—इकॉनामिक इम्पीरियलिज्म आफ ब्रिटेन इन इण्डिया, विपिन चन्द्र
6—इम्पीरियल गजेरियर ऑफ इण्डिया, खण्ड III
7—बंगाल का आर्थिक इतिहास, एन0के0सिन्हा
8—भूमि की खेती और बंगाल के भूराजस्व में सुधारनामक लेख, पैटलू हेलरी
9—आधुनिक भारत का इतिहास
10—ब्रिटिष कालीन भारत का इतिहास, पी0ई0राबर्टस
11—आधुनिक भारत का इतिहास, एम0एस0जैन
12—आधुनिक भारत का इतिहास (1757—1964) पी0एल0गौतम
13—इण्डिया इट्स एडमिनिस्ट्रेषन एण्ड कांग्रेस, जॉन स्ट्रेची
14—भारत का वैधानिक एवं राश्ट्रीय विकास, जी0 एन0 सिंह

REFERENCES

1. Bharat ka Vrihad Itihaas Khand Part III, R. C. Majumdar
2. The Co-operative Organizations in India, B. G. Bhatnagar
3. Bharat me Arthik Rashtrabhav ka Udbhav aur Vikas, Vipin Chandra
4. Aaj ka Bharat, Rajni Pal Dutt
5. Economic Imperialism of Britain in India, Vipin Chandra
6. Imperial Gazetteer of India, Part III
7. Bengal ka Arthik Itihaas, N. K. Sinha

(IJDSSH) 2016, Vol. No. 2, Jul-Dec **e-ISSN: 2455-5142; p-ISSN: 2455-7730**

8. Bhoomi ki Kheti or Bengal ke Bhoo Rajaswa me Sudharnamak Lekh, Paitlu Helry.
9. Adhunik Bharat ka Itihaas
10. British Kaleen Bharat ka Itihaas, P. E. Roberts
11. Adhunik Bharat ka Itihaas, M. S. Jain
12. Adhunik Bharat ka Itihaas (1757-1964), P. L. Gautam
13. India Its Administration and Congress, John Strechi
14. Bharat ka Vaidhanik evum Rashtriya Vikas, G. N. Singh